

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

पत्रांक:वीसी- 8407 निप्रमा./2020

दिनांक: मार्च 22, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

आपके संज्ञान में लाना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार दिनांक 23 से 25 मार्च, 2020 तक जिला कानपुर/लखीमपुरखीरी को लॉकडाउन घोषित किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय दिनांक 23 से 25 मार्च, 2020 तक बन्द रहेगा। विश्वविद्यालय में लॉकडाउन के दौरान निम्न आवश्यक सेवाएँ बाधित न किया जाय। आवश्यक सेवाओं के दौरान कम से कम मानव संसाधनों का उपयोग कर कोरोना वायरस के संक्रमण को बचाने हेतु समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आवश्यक सेवाओं के दृष्टिगत यह भी ध्यान रखा जाय कि एक स्थान पर 2 से अधिक मानव संसाधन का प्रयोग न किया जाय।

- जल एवं विद्युत आपूर्ति।
- दुग्धशाला/प्रक्षेत्र।
- विश्वविद्यालय शोध/बीज उत्पादन प्रक्षेत्र।
- विश्वविद्यालय सुरक्षा संबंधी कार्य।
- मौसम संबंधी आँकड़ें।

यह पत्र मा0 कुलपति महोदय के निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

Lehussami
(करम हुसैन)
निदेशक,
प्रशासन एवं मानीटरिंग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अर्थ नियंत्रक।
2. कुलसचिव।
3. समस्त अधिष्ठातागण/निदेशकगण/विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/प्रभारीगण।
4. सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय अभियन्ता
6. सम्पत्ति अधिकारी/प्रेस मैनेजर
7. प्रभारी, केन्द्रीय पुस्तकालय
8. भण्डार कय अधिकारी
9. प्रभारी, एकेएमयू को इस आशय से कि कृपया उक्त निर्देशों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

Lehussami
(करम हुसैन)
निदेशक,
प्रशासन एवं मानीटरिंग